EMS SPEED POST
ER 12228787 8IN

To

कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र-II)
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास
अम्बे विद्यालय के सामने
समा सावली रोड, वडोदरा (गुजरात) - 390008

③

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD
प.क्षे.पा.प्र. -II / WRTS-II
दिनांक / Date :
29 OCT
आ.नं. / In. No. 4323

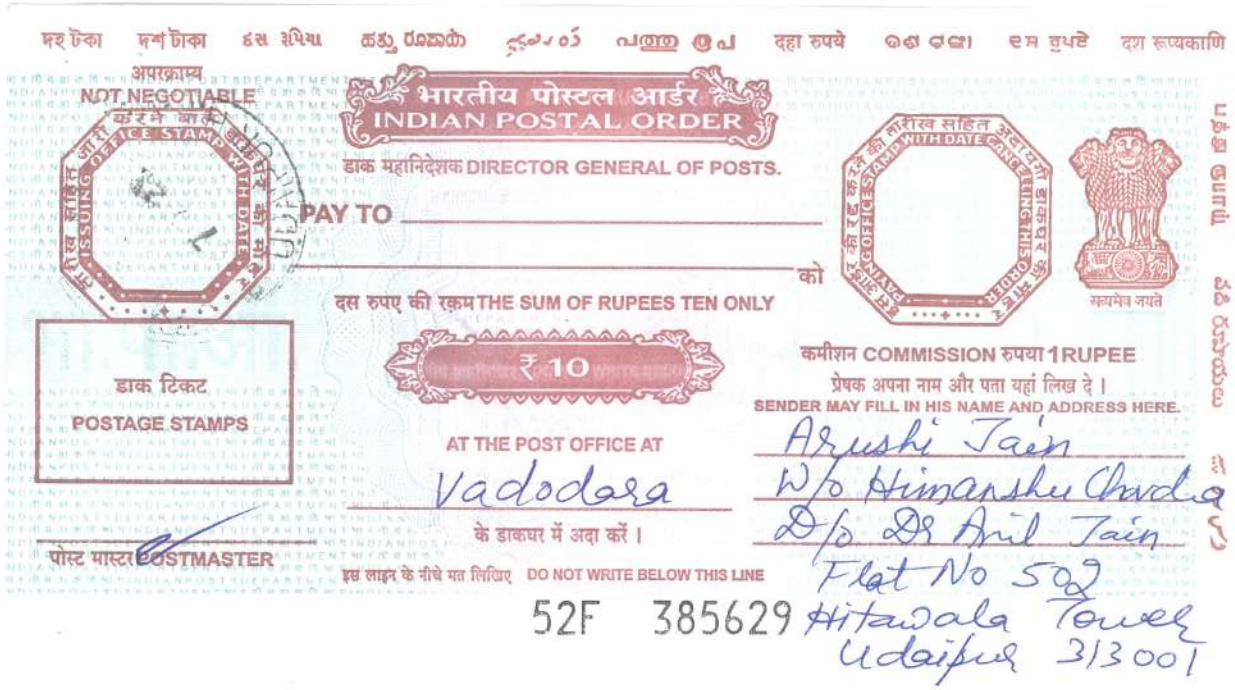

Arushi Jain
W/o Himanshu Chordia
D/o Dr Anil Jain
Flat No 502
Hitawala Tower
Udaipur 313001

→ श्री गोविंद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

1 कार्यालय का नाम–

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र–II)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

2 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता–

कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र–II)

पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,

समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड– 390008

3 आवेदक/प्रार्थीया का नाम व पता–

आरूषि जैन पत्नी हिमांशु चोरड़िया पुत्री डॉ. अनिल जैन

पत्र व्यवहार का पता– फ्लेट नम्बर 502, हिंतावाला टॉवर

सेलिबेंशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान) 313001

4 दूरभाष– 94141 02459

5 आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक– 25.10.2021

6 आवेदन पत्र शुल्क– 10/–रूपये का पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52 F 385629

7 चाही गयी जानकारी का विवरण–

ए– यह कि आरटीआई आवेदन दिनांकित 21.08.2021 के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52एफ 385885 तादादी 10/–रूपया को भुगतान प्राप्ति हेतु आपके विभाग द्वारा पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करने से संबंधित दस्तावेज/पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

CP10

बी– यह कि आरटीआई आवेदन दिनांकित 21.08.2021 के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52एफ 385885 तादादी 10/–रूपया को भुगतान प्राप्ति हेतु आपके विभाग द्वारा पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करने पर डाक विभाग द्वारा भुगतान करने से इन्कार करने के संबंध में प्रदत्त जवाब पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

सी– यह कि पिछले एक वर्ष की अवधि में आपके कार्यालय में सूचना का अधिकार के आवेदन के तहत प्राप्त कुल कितने आवेदन पोस्टल ऑर्डर में कोई कमी निकालकर या अन्य कोई कमी बताकर आवेदक को रिटर्न किये गये, इसकी जानकारी प्रदान करावे।

डी– यह कि लोक सूचना अधिकारी के नाम की जानकारी उपलब्ध करावे।

8 यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6–2 के अनुसार सूचना चाहने हेतु कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं है इसलिए इस आवेदन में चाही गई सूचना को मनमर्जी से तलाक के केस की प्रतिपूर्ति हेतु मांगना नहीं माना जा सकता है। फिर भी उल्लेख किया जा रहा है कि आप द्वारा अधिकांश आवेदन को केवल मात्र पोस्टल ऑर्डर में नाम न लिखने, पोस्ट मास्टर के साईन न होने, तारीख न होने, मोहर न होने का अनुचित कारण बताकर रिटर्न किया जाता है जिस कारण आवेदकों को दुबारा आवेदन करने में अनावश्यक खर्च करना पडता है। कई मामलो में भी यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि पोस्टल ऑर्डर में नाम का अंकन लोक सूचना अधिकारी द्वारा करना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट मास्टर के साईन मोहर तारीख का अंकन किस प्रकार किया जाता है इस संबंध में आवेदक को एतराज करने का अधिकार नही है! हर सरकारी अधिकारी को अपनी इच्छानुसार साईन करने का अधिकार है, मोहर का भी हर बार पूरी तरह से साफ छापना संभव नहीं है। वेसे भी पोस्टल ऑर्डर का विक्रय करने पर डाक विभाग द्वारा उसका अंकन ओनलाईन किया जाता है जिस कारण जब भी पोस्टल ऑर्डर किसी भी डाकघर में भुगतान प्राप्ति हेतु पेश होता है तो संबंधित डाक विभाग कार्यालय में ओनलाईन चेक कर यह देख लिया जाता है कि यह कब व किस कार्यालय से जारी हुआ है। इस प्रकार उक्त सूचना के प्रकटन से यह जाहिर होगा कि आप द्वारा किस प्रकार मुझ आवेदक के आवेदन को किसी अंतस्थ कारण से जानबूझकर रिटर्न किया गया है। तथा इससे आपके कार्यालय द्वारा आरटीआई आवेदन को नियम विरूद्ध तरीके से रिटर्न करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा तथा सम्पूर्ण भारतवर्ष की जनता को पता चलेगा कि एक केन्द्र

सरकार के उपक्रम में किस प्रकार सूचना देने से बचने के लिए विधिविरूद्ध कारण सृजित किये जाते है।

9 यह कि इस आपेदन के बिन्दु संख्या 7ए व 7बी में मांगी गई सूचना केवल संबंधित अनुभाग के कार्मिक के पास उपलब्ध है जिसको तैयार करने के लिए कंपनी के सभी कर्मचारियों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बिन्दु संख्या 7सी में मांगी गई सूचना तैयार करने के लिए भी आपको अतिरिक्त कार्मिक लगाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उक्त सूचना भी आपको प्रतिवर्ष स्वप्रेरणा से तैयार करनी होती है जो आपके कार्यालय में निश्चित रूप से उपलब्ध है। बिन्दु संख्या 7–डी में मांगी गइ सूचना भी तैयार करने के लिए आपको कंपनी के सभी कार्मिको को लगाने की जरूरत नही है बल्कि आपको स्वयं का नाम मालूम है। चूंकि आप द्वारा हस्ताक्षर के नीचे नाम का अंकन नहीं किया जाता इस कारण उक्त सूचना मांगना आवश्यक होता है ताकि आग्रेम कार्यवाही में नाम लिखा जा सके।

10 यह कि आवेदन के साथ संलग्न पोस्टल ऑर्डर में नाम लिखने पर आप द्वारा पूर्व में किसी अन्य आवेदन के जवाब में सूचित किया गया कि पोस्टल ऑर्डर में केवल कंपनी का नाम लिखना है लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं बताया कि किस वजह से कम्पनी का नाम लिखना है इस कारण इस आवेदन के साथ पोस्टल ऑर्डर में पाने वाले का नाम रिक्त रखा गया है जिसे आप जैसा उचित समझे भरकर आवेदन शुल्क की राशि प्राप्त करे।

11 यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रस्तावना का अवलोकन करे।

12 यह कि चाही गयी जानकारी बिन्दुवार, स्पष्ट एवं सुपठनीय रूप से यथाशीघ्र प्रदान करायी जावे।